<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>निग/टीए/सीलिंग/4126/2004/हनुमानगढ</u>

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम

1 बिरमादेवी बेवा लखपत
2 देवानन्द वल्द लखपत नाबालिग
3 मुन्नी दुख्तर लखपत नाबालिग सभी जाति बिश्नोई, नाबालिगान जरिये वली माता बिरमादेवी बेवा लखपत सभी निवासी शेरेका तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री शोकिन्दलाल गुर्जर उप राजकीय अभिभाषक।
श्री शम्भूसिंह मीणा वकील एवं
श्री प्रशान्त सोनी वकील अप्रार्थीगण।
श्री मनीष पंडया वकील बनने पक्षकार।

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांकः.25.10.19</u>

यह निगरानी धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी,हनुमानगढ द्वारा अपील संख्या 28/2003 में पारित निर्णय दिनांक 21.10.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी, सीलिंग, हनुमानगढ ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अध्याय–3 बी के अन्तर्गत पुराने सीलिंग कानून के तहत लाघुराम पुत्र सदासुख के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की। असेसी लाघुराम द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया। लाघुराम के साथ ही उसके पांच पुत्र रामस्वरूप, शिवराम, काशीराम, लखपत व भूपसिंह की ओर से भी अलग अलग घोषणा पत्र प्रस्तुत किये गये। उपखण्ड अधिकारी ने निर्णय दिनांक 8.11.74 से असेसी लाघुराम व उसके पांचों पुत्रों

के धारण में कुल 1205 बीघा होना माना तथा भूमि जद्दी जायजाद मानते हुए उक्त भूमि में लाघुराम व उसके पांचों पुत्रों का बहिस्सा बराबर का हक मानकर प्रत्येक को 190 बीघा धारण के हकदार माना। वर्तमान अप्रार्थीगण के पति व पिता लखपत का देहान्त होने के आधार पर उसकी पत्नी व पुत्र को 95-95 बीघा रखने का अधिकारी मानकर 26-26 बीघा कुल 52 बीघा भूमि अधिग्रहण करने का आदेश दिया। इसके विरूद्व अपीलार्थी वर्तमान अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर में अपील प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 22.9.75 द्वारा प्राथमिक आपति पर खारिज कर दी गई। इसके विरूद्व राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में निगरानी संख्या 627/75 प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 11.10.76 से स्वीकार की जाकर पत्रावली गुणावगुण पर निर्धारण हेतु प्रति प्रेषित की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर ने उक्त अपील व लाघुराम के अन्य वारिसानों द्वारा प्रस्तुत अन्य पांच अपीलों में दिनांक 2.9.77 को निर्णय पारित कर लाघुराम के धारण की 1141 बीघा भूमि में से 972 बीघा भूमि अधिग्रहण करने का आदेश दिया। इसके विरूद्व बिरमा देवी ने राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की जो निर्णय दिनांक 9.5.78 से खारिज की गई। जिसके विरूद्व रिव्यु प्रार्थना पत्र संख्या 16/78 बिरमा देवी व सरकार प्रस्तुत किया गया जो निर्णय दिनांक 23.5.80 से खारिज कर दिया गया। इसके विरूद्व बिरमादेवी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जो निर्णय दिनांक 13.2.81 से स्वीकार की जाकर प्रकरण राजस्व मण्डल को रिमाण्ड किया गया। निगरानी संख्या 10/81 निर्णय दिनांक 1.1.82 से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय दिनांक 2.9.77 अपास्त कर प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर को प्रति प्रेषित किया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपील संख्या 8/82 में पारित निर्णय दिनांक 9.8.83 से उपखण्ड अधिकारी का निर्णय दिनांक 8. 11.74 निरस्त कर दिया एवं प्रकरण रिमाण्ड कर दिया। जिसके विरूद्व राजस्व मण्डल में घोषणाकर्ता द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई। बिरमादेवी की निगरानी संख्या 388/83 निर्णय दिनांक 1.11.91 से लखपत के धारण में 95 बीघा होना मानकर उसमें से 26 बीघा भूमि अधिग्रहण योग्य मानी एवं उसके पुत्र में अलग से असेसमेन्ट का आदेश दिया। इसके विरूद्व बिरमादेवी आदि ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7464/91 प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 22.11. 2000 से स्वीकार की गई एवं उक्त रिट का निर्णय पूर्व रिट संख्या 6236/91 के आधार पर पारित कर दिया। जिसमें राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 9.8.83 एवं राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय दिनांक 1.11.91 को निरस्त कर दिया। इसके विरूद्व रिव्यु प्रस्तुत किया गया जो निर्णय दिनांक 9.1.2001 से स्वीकार किया गया एवं निर्णय दिनांक 9.8.83 अपास्त कर दिया। इसके विरूद्व राज्य पक्ष द्वारा डी.बी.सिविल स्पेशल अपील

संख्या 347/02 सरकार बनाम बिरमा देवी प्रस्तुत की गई जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.7.2002 से स्वीकार की जाकर रिव्यु में पारित निर्णय दिनांक 9.1.2001 अपास्त कर दिया एवं रिट संख्या 6464/91 में पारित निर्णय दिनांक 22.11. 2000 यथावत रखा गया। उक्तानुसार पत्रावली रिमाण्ड होकर राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ को प्राप्त हुई। राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ ने अपीलार्थी बिरमादेवी व अन्य की अपील संख्या 28/2003 में सुनवाई कर निर्णय दिनांक 21.10.2003 से अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8.11.74 में अपीलार्थीगण की हद तक दिया गया निर्णय अपास्त कर दिया एवं अपीलार्थीगण के विरूद्व सीलिंग कार्यवाही समाप्त करने का आदेश दिया। इससे व्यथित होकर राज्य पक्ष ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. प्रकरण में राजेन्द्र कुमार पुत्र काशीराम, मु0 मेमती, मु0 सरबती पुत्रियां काशीराम जाति बिश्नोई निवासी शेरेका ने आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात असेसी लाधूराम के खातेदारी में दर्ज रही हैं तथा उसके सभी पांचों पुत्र बराबर के हिस्सेदार व हकदार होने से पांचों पुत्रों का नोशनल शेयर निर्धारित किया गया है। विवादित आराजीयात संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति होने से प्रार्थीगण जो कि लादूराम के पुत्र काशीराम के पुत्र, पुत्रियां हैं, आवश्यक पक्षकार हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में पक्षकार बनाया जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी ने इसका विरोध किया एवं तर्क दिया कि निगरानी के इस स्तर पर वह पक्षकार नहीं है। मामला सीलिंग का है और इसमें भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आराजी सीलिंग में नहीं आने का कथन किया है। साथ ही राजस्व अपील प्राधिकारी ने सीलिंग की कार्यवाही ड्राप की है। वर्तमान प्रकरण घोषणा व विभाजन का नहीं है। ऐसी स्थिति में इनका प्रार्थना पत्र असंगत होने से खारिज किया जावे। वर्तमान प्रकरण में लखपत के नोशनल शेयर के धारण के संबंध में विचार किया जाना है जिसमें लखपत के भाई के वारिस अन्य व्यक्ति आवश्यक पक्षकार नहीं है।

5. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि असेसी लाधूराम द्वारा धारित भूमि को पैतृक सम्पति मानकर उसके पांचों पुत्रों का नोशनल शेयर मानकर अलग अलग गणना कर सीलिंग कार्यवाही में प्रत्येक घोषणाकर्ता के संदर्भ में अलग अलग निर्णय पारण कर कार्यवाही की गई है। वर्तमान प्रकरण में लाधूराम के एक पुत्र लखपत के हिस्से के संबंध में विवेचन किया जाना है। ऐसी स्थिति में लाधूराम के अन्य पुत्रों के हक व हिस्से इस प्रकरण के निर्णय

से प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में उक्त राजेन्द्र कुमार व अन्य प्रार्थीगण को इस प्रकरण में आवश्यक व प्रभावित पक्षकार नहीं माना जा सकता। साथ ही राजस्व अपील प्राधिकारी ने सीलिंग की कार्यवाही ड्राप की है एवं आगे विवेचन अनुसार राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय यथावत रखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में भी इस निगरानी में प्रार्थीगण व्यथित होकर आवश्यक पक्षकार नहीं है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है।

6. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि लखपत के हिस्से में 190 बीघा आती है। लखपत की मृत्यु दिनांक 1.4.66 से पूर्व होने से उसके उत्तराधिकारी उसकी विधवा एवं पुत्र देवानन्द को बराबर का हकदार माना जावेगा जो 95–95 बीघा भूमि रखने के अधिकारी हैं। जिससे उनके पास 26–26 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक रहती है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने आलौच्य निर्णय में लखपत की पुत्री मुन्नी को परिवार का सदस्य मानकर निर्णय पारित किया है जो अनुचित है। घोषणा पत्र के अनुसार लखपत के दो ही वारिस हैं। घोषणापत्र में पुत्र देवानन्द की उम्र 1 वर्ष बताई गई जो माता पर आश्रित है जिससे नाबालिग की भूमि को अलग नहीं किया जा सकता बल्कि माता द्वारा धारित भूमि के साथ जोडा जावेगा। लखपत की पुत्री मुन्नी को भी वारिस माना जावे तो भी वह निर्धारित तिथि 1.4.66 को नाबालिग होकर असेसी पर ही आश्रित थी जिससे वह अलग से भूमि धारण करने की अधिकारी नहीं है। विवादित भूमि लाधुराम के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। जिससे उसके पौत्र पौत्री किसी प्रकार का हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने तथ्यों को समझे बिना ही विधिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय दिया है। अतः यह निगरानी स्वीकार की जावे।

7. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजीयात लाधुराम के धारण में रही है तथा पैतृक सम्पति (जद्दी जायजाद) होने से लाधुराम के पांचों पुत्रों का बराबर का हक व अधिकार रहा है जिससे लाधुराम के पुत्र मृतक लखपत को नोशनल शेयर से 190 बीघा भूमि प्राप्त होती है। लखपत की मृत्यु निर्धारित तिथि 1.4.66 से पूर्व होना साबित है। राज्य पक्ष द्वारा इसका खण्डन नहीं किया गया है। दिनांक 1.4.66 से पूर्व लखपत की मृत्यु हो जाने से इस तिथि को लखपत के पुत्र एवं पुत्री तथा विधवा लखपत के हिस्से को धारण करती है। चूंकि लखपत की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभाव में आने के पश्चात हुई हैं जिससे उसके सभी वारिसान का बराबर का हक व हिस्सा बनता है। लखपत द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र में उसने 4 सदस्य होना अंकित किया है। मुन्नी का स्कुल प्रमाण पत्र के अनुसार भी मुन्नी पुत्री लखपत का जन्म निर्धारित तिथि 1.4.66

से पूर्व हो चुका था जिससे जददी जायजाद में वह कोपार्शनर होकर नोशनल शेयर प्राप्त करने की अधिकारी है। इसके साथ ही लखपत की मृत्यु होने पर उसके सभी वारिसान को हिस्सा प्राप्त होता है जिससे भी मुन्नी लखपत द्वारा धारित भूमि में 1/3 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी हैं। नाबालिग होने पर भी मुन्नी व देवानन्द को माता पर आश्रित नहीं माना जा सकता क्योंकि पैतृक कृषि भूमि में प्राप्त होने वाले हिस्सा जीवन निर्वाह हेतु पर्याप्त है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने सभी तथ्यों को पूर्ण व विस्तृत विवेचन कर निर्णय पारित किया है जो न्यायोचित होने से यह निगरानी खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्को के समर्थन में 1997 आर. आर.डी. पेज 198 तथा 1992 आर.आर.डी. पेज 107, 1993 आर.आर.डी. पेज 789 एवं 1986 आर.आर.डी. पेज 489 न्यायिक दृष्टान्त संदर्भित कर कथन किया कि पैतृक भूमि में वारिस का अधिकार होता है। इन दृष्टान्तों का अंकन प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय में किया है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

8. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

9. पत्रालवी के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद रूप से साबित है कि विवादित आराजीयात जद्दी जायजाद होकर लाधुराम के धारण में रही हैं तथा लाधुराम के पांचों पुत्र रामस्वरूप, शिवराम, काशीराम, लखपत व भूपसिंह जददी जायजाद में बराबर का हक व हिस्सा धारण करने के अधिकारी रहे हैं। ऐसी स्थिति में लाधुराम के प्रत्येक पुत्र के हिस्से में 190 बीघा आती है। वर्तमान प्रकरण में लाधुराम का पुत्र लखपत के हिस्से में भी 190 बीघा प्राप्त होती हैं। लखपत पुत्र लाधुराम का देहान्त मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 12.12.65 को हुआ है। इस तथ्य का खण्डन प्रार्थी राज्य पक्ष द्वारा नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि लखपत का देहान्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभाव में आने के पश्चात तथा पुराने सीलिंग कानून हेतु निर्धारित तिथि 1.4.66 से पूर्व हुआ है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार पैतृक सम्पति में लखपत के सभी वारिसान बराबर का हिस्सा व अधिकार रखते हैं। ऐसी स्थिति में लखपत की मृत्यु होने पर उसके हिस्से की कुल 190 बीघा उसके वारिसान पत्नी बिरमादेवी, पुत्र देवानन्द एवं पुत्री मुन्नी प्रत्येक को 1/3– 1/3 हिस्सा अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार के कानूनी प्रावधानें के अनुसार प्राप्त होता हैं।

10. लखपत द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र में उसने परिवार के सदस्यों की संख्या 4 बताई हैं। निर्धारित तिथि 1.4.66 से पूर्व लखपत की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसान तीन सदस्य परिवार में रहते हैं। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के अनुसार मुन्नी पुत्री लखपत की जन्म दिनांक 17.7.64 है। प्रार्थी राज्य पक्ष द्वारा सप्रमाण इसका

खण्डन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में निर्धारित तिथि को लखपत के तीनों वारिस उसकी भूमि धारित करते हैं। ऐसी स्थिति में लखपत के तीनों वारिसान सह खातेदार होकर प्रत्येक को 63.7 – 63.7 बीघा भूमि प्राप्त होती हैं। विवादित आराजीयात भाखडा परियोजना क्षेत्र में स्थित है तथा इस क्षेत्र में पुराने सीलिंग कानून के तहत 69 बीघा सीलिंग सीमा निर्धारित की हुई हैं। ऐसी स्थिति में लखपत के वारिसान वर्तमान अप्रार्थीगण के धारण में सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होना नहीं पाया जाता है।

11. जहां तक लखपत के नाबालिग पुत्र व पुत्री को परिवार पर आश्रित नहीं माने जाने का प्रश्न है, तो यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात जददी जायजाद है तथा निर्धारित तिथि 1.4.66 से पूर्व लखपत का देहान्त हो जाने से लखपत द्वारा धारित भूमि उसके तीनों वारिसान में समाहित हो जाती हैं। पैतृक सम्पति के मामलों में यह स्पष्ट प्रावधान है कि नाबालिग को प्राप्त होने वाला हिस्सा की आय पर्याप्त हो तो उस नाबालिग को परिवार पर आश्रित नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में लखपत के नाबालिग पुत्र व पुत्री द्वारा धारित भूमि उसकी माता द्वारा धारित भूमि में सम्मलित नहीं की जा सकती। हम राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा पारित आलौच्य निर्णय में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं पाते हैं एवं यह निगरानी सारहीन होने से खारिज करना न्यायोचित समझते हैं।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह निगरानी खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 21.10.2003 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य